पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 1673 / अका. / का.प. / 2010 रायपुर, दिनांक : 12 / 08 / 2010

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक 07.08.2010 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

1.	डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति		अध्यक्ष
2.	प्रो.(श्रीमती) प्रोमिला सिंह	-	सदस्य
3.	प्रो. अब्दुल अलीम खान	—	सदस्य
4	प्रो. आर.पी. दास	—	सदस्य
5	प्रो. ए.के. पति	--	सदस्य
6.	प्रो. विभूति राय	--	सदस्य
7	प्रो. सत्येन्द्र कुमार सिंह	--	सदस्य
8.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला		सदस्य
9.	श्री एस.के.चक्रवर्ती	--	सदस्य
10.	डॉ.जी.बी. गुप्ता	—	सदस्य
11.	श्री अशोक लोहिया	—	सदस्य
12.	श्री देवजी भाई पटेल		सदस्य
13.	श्री रामजी भारती	-	सदस्य
14	श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 03.07.2010 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.07.2010 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 20.07.2010 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.07.2010 के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

03. पूरक 2009-10 वार्षिक एवं पूरक परीक्षा 2010-11 के लिये उत्तर पुस्तिका मुद्रण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : पूरक परीक्षा 2009-10, वार्षिक परीक्षा 2010-11, पूरक परीक्षा 2010-11 एवं सभी सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए मुख्य उत्तरपुस्तिका 18,75,000 एवं पूरक उत्तरपुस्तिका 11,50,000 संवाद के माध्यम से मुद्रण कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ साथ यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तरपुस्तिका मुद्रण के लिए वर्ष 2010-11 के पूरक बजट प्रावधान में रु. 1 करोड़ 10 लाख का प्रावधान करने की अनुमति प्रदान की गई।

04 विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा डाटा एण्ट्री आपरेटरों को पुनरीक्षित संविदा मासिक वेतन प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा डाटा एंट्री आपरेटरो को पुनरीक्षित संविदा मासिक निश्चित वेतन रु. 7400/- प्रतिमाह विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश की तिथि से प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई बशर्ते संविदा डाटा एंट्री आपरेटरों की नियुक्ति संविदा भर्ती नियम 2004 के अनुसार की गई हो।

05. स्व. कृष्ण किशोर श्रीवास्तव के स्मृति में एम.एस सी. भौतिकी में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के संबंध में, विश्वविद्यालय कोष में राशि रु. 50,000/- जमा की गई, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : स्व. कृष्ण किशोर श्रीवास्तव के स्मृति में एम.एस सी. भौतिकी मे स्वर्णपदक प्रदान करने के संबंध में विश्वविद्यालय कोष में रु. 50,000/- जमा की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

06 परिनियम 1 Terms and Conditions of Service of Vice-Chancellor में संशोधन पर विचार करना।

(पृ. क्र. 16 से 17)

	पूर्व प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
Statute-1(1)	The Kulpati shall receive a fixed pay of Rs. 25,000.00 per month plus other allowances as admissible from time to time. If he assumes his charge after attaining the normal age of superannuation and is receiving pension due to his past services, then either his pay and allowances will be reduced by the gross amount of his pension amount prior to commutation or the payment of pension shall be held in abeyance upto the date of his relinquishing charge of the post of the Kulpati. On the other hand, if he assumes charge after attaining the normal age of superannuation and he was on a non-pensionable post, his gross pension equivalent of retirement will be reduce from the pay and allowances admissible for the post of 'Kulpati'.	The Kulpati shall receive a fixed pay as **recommended by UGC and adopted/ accepted by state government plus** other allowances as admissible from time to time. If he assumes his charge after attaining the normal age of superannuation and is receiving pension due to his past services, then either his pay and allowances will be reduced by the gross amount of his pension amount prior to commutation or the payment of pension shall be held in abeyance upto the date of his relinquishing charge of the post of the Kulpati. On the other hand, if he assumes charge after attaining the normal age of superannuation and he was on a non-pensionable post, his gross pension equivalent of retirement will be reduce from the pay and allowances admissible for the post of 'Kulpati'.

निर्णय : परिनियम 1 Terms and Conditions of Service of Vice-Chancellor के कंडिका 1(1) में प्रस्तावित संशोधन मान्य करते हुए समन्वय समिति में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ यह भी निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 1221/एफ -2 10/2009/38 1 दिनांक 30.03.2010 के अनुक्रम में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16.04.2010 के बिंदु क्रमांक 6 में हुए निर्णय एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2085/सा.प्रशा./10 दिनांक 20.04.2010 के अनुसार [illegible]

07 इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट की राशि रू. 5,000/— से बढाकर रू. 10,000/- किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि रु. 5,000/— से बढ़ाकर रु. 10,000/- करने हेतु अनुमोदन किया गया।

08. शोध छात्रावास के लिए निर्धारित कमरों के किराये पुनरीक्षित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : शोध छात्रावास के लिए निर्धारित कमरों के किराये पुनरीक्षित करते हुए रु. 250/- प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।

09. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 16.07.2010 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 16.07.2010 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। क्रीडा समिति की बैठक के विषय कमांक-5 में हुए निर्णय के अनुसार कार्यपरिषद की ओर से निम्नलिखित दो सदस्यों को क्रीडा परिषद के लिए मनोनीत करने का अनुमोदन किया गया।

1. **डॉ. मानिक चटर्जी**
2. **डॉ. एस.के. सिंह**

10. मेसर्स फाइबरी आप्टिका टेक्नालाजी बैंगलोर से "लाईट रनर" क्रय करने के पश्चात देयक राशि रूपए 9 लाख की भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : मेसर्स, फाइवर आप्टिका टेक्नालॉजी, बैंगलोर से "लाईट रनर" कय करने के पश्चात देयक राशि रु. 9,00,000/— (रु. नौ लाख मात्र) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

11 मेसर्स आटोमशन सिस्टम इंजीनियर प्रा.लि. अहमदाबाद से सेमी कन्डक्टर पैरामिटर एनलाईजर के क्रय करने के पश्चात् देयक राशि रूपए 5,56,500/- की भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निणर्य : मेसर्स, आटोमेशन सिस्टम इंजीनियर प्रा.लि. अहमदाबाद से सेमी कंडक्टर पैरामीटर एनलाईजर के कय करने के पश्चात देयक राशि रु. 5,56,500/— के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

1 भू–अर्जन हेतु रू. 7,36,30,900/— (सात करोड छत्तीस लाख तीस हजार नौ सौ रूपए) को भुगतान की गई की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : भू–अर्जन हेतु रु. 7,36,30,900/- (रुपए सात करोड़ छत्तीस लाख तीस हजार नौ सौ मात्र) भुगतान करने की कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

भू–अर्जन हेतु शासन से रु. 7.00 करोड़ की राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है। यह कार्य माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के विशेष सहयोग एवं अनुग्रह से संभव हो सका है। अतः विश्वविद्यालय कार्यपरिषद माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती है।

2. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 19.07.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 19.07.2010 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

3. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.08.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.08.2010 के कार्यवृत्त बिंदु क्रमांक–5 के क्रमसंख्या 34 मैत्री कॉलेज आफ डेंटीस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर, अंजोरा, दुर्ग की वार्षिक सम्बद्धता प्रदान करने की कार्यवाही स्थगित रखने का निर्णय लिया गया तथा दिनांक 03.08.2010 की बैठक के अन्य सभी निर्णय का अनुमोदन किया गया।**

4. डॉ. मनीष कुमार राय, रीडर, रसायन अध्यनशाला के प्रकरण पर, उच्च स्तरीय छानबीन समिति से प्राप्त पुनर्विलोकन रिपोर्ट पर विचार करना।

निर्णय : **डॉ. मनीष कुमार राय, रीडर, रसायन अध्ययनशाला के प्रकरण पर उच्चस्तरीय छानबीन समिति से प्राप्त पुनर्विलोकन रिपोर्ट पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि इस रिपोर्ट की प्रति माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए प्रकरण पर शीघ्र सुनवाई के लिए अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन लगाया जाय।**

5. डॉ. श्रीराम परिहार को डी.लिट्. हिन्दी की उपाधि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ. श्रीराम परिहार को डी.लिट्. हिंदी की उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**

6. विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं के शिक्षकों के परिवीक्षावधि पूर्ण करने की तिथि से स्थायीकरण करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं के शिक्षकों की परिवीक्षावधि पूर्ण करने की तिथि से स्थायीकरण करने की कार्यवाही पर निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण से संबंधित याचिका क्रमांक 1330/2004 एवं 2729/2004 माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय आना शेष है। अतः विधिक सलाहकार के माध्यम से प्रकरण पर शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन लाया जाय।**

7. विश्वविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन करने पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन समिति गठन करने संबंधी प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन करते हुए निम्नानुसार समिति का गठन हेतु अनुमोदन किया गया।**

01.	कार्यपरिषद् सदस्य	अध्यक्ष (कुलपति द्वारा नामांकित)
02.	वित्त नियंत्रक	सदस्य
03.	उपकुलसचिव, प्रशासन (उपकुलसचिव की अनुपस्थिति में कुलसचिव द्वारा नामांकित सदस्य)	सदस्य सचिव
04.	अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधि	सदस्य (कुलपति द्वारा नामांकित)
05.	विभागाध्यक्ष / पद से संबंधित विषय विशेषज्ञ	सदस्य (आवश्यकतानुसार)
06.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि	

अध्यक्ष को छोड़कर शेष सदस्यों में से इस वर्ग का प्रतिनिधि नहीं होने पर क्रम संख्या 6 के लिए अलग से प्रतिनिधि कुलपति द्वारा नामांकित किया जावेगा।)

उपरोक्तानुसार विनियम क्रमांक 91 में संशोधन करने हेतु अनुमोदन किया गया।

8. परीक्षा परिणाम प्रोसेसिंग ओ.एम.आर. शीट के माध्यम से करने तथा इससे संबंधित मशीन क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **परीक्षा परिणाम प्रोसेसिंग ओ.एम.आर.शीट के माध्यम से करने तथा इससे संबंधित मशीन क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

9 अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णयः निम्नलिखित अशासकीय महाविद्यालयों में परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य की नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा का लिफाफा खोला गया -

1. राष्ट्रीय वैदेशिक भाषा संस्थान, सेक्टर-8, भिलाई - चयन समिति ने किसी भी अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया। अतः एक माह के अंदर पद का पुनः विज्ञापन प्रसारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई - चयन समिति में कोई भी अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं हुए। अतः एक माह के अंदर पद का पुनः विज्ञापन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

द्वितीय पूरक विषयसूची

01 साँई महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई, जिला–दुर्ग में संचालित पाठ्यक्रम एम.एस.सी. पूर्व बायोटेक्नालॉजी विषय में प्रवेश की अनुमति के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णयः साँई महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई जिला-दुर्ग में संचालित पाठ्यक्रम एम. एस-सी. पूर्व सत्र 2010 11 बायोटेक्नालॉजी विषय में प्रवेश एवं अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई।

02 छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा विश्वविद्यालय में सोलर पावर प्लांट एवं सौर गर्म जल संयंत्र की स्थापना के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा विश्वविद्यालय में सोलर पावर प्लांट एवं सौर गर्म जल संयंत्र की स्थापना के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि पूरक बजट 2010-11 एवं वार्षिक बजट 2011–12 में आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान किया जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में शीघ्र निराकरण के संबंध में रिटेनर नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

02. गोपनीय ।

03 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ.3-1/2009 दिनांक 30 जून, 2010 के द्वारा अधिसूचित शिक्षकों की नियुक्ति, प्रमोशन से संबंधित रेगुलेशन के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–4 में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि संबंधित अधिसूचना पर सुझाव आमंत्रित करते हुए इसकी एक-एक प्रति कार्यपरिषद के सभी सदस्यों को उपलब्ध करायी जाय। इसके साथ ही प्रकरण विद्यापरिषद की बैठक में भी प्रस्तुत किया जावे। कार्यपरिषद सदस्यों से प्राप्त सुझाव एवं विद्यापरिषद से प्राप्त सुझाव को शामिल करते हुए संशोधित अध्यादेश क्रमांक 4 के लिए प्रस्ताव आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

04 डी.जी.पी. गुप्ता, सदस्य, कार्यपरिषद ने प्रस्ताव रखा कि पूरे देश एवं छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जल संरक्षण के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत विश्वविद्यालय में भी जल संरक्षण तथा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आवश्यक रूप से कदम उठाया [illegible] चिन्हित कर ली जावे।

[illegible]

05. विश्वविद्यालय विनियम क्रमांक 108 के कंडिका भाग–4 क्रय एवं विक्रय नियम में संशोधन हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर की गई अनुशंसा के बिंदु क्रमांक 4.3.3 के अंतिम पैरा के संबंध में समिति पुनः विचार करे एवं तदनुसार प्रारूप संशोधन करते हुए प्रकरण पर अंतिम रूप से अनुमोदन हेतु श्री एस.के.चक्रवर्ती, उपसचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर को अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलपति — कुलसचिव

अध्यक्ष — सचिव

पृ.क्र. : 1874 /अका./का.प./2010 — रायपुर, दिनांक : 12/08/2010

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक/ प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)